उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

2019 का आपराधिक विविध आवेदन संख्या 1506
(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत)

आनंदी देवी .....आवेदक

बनाम

उत्तराखंड राज्य और एक अन्य .....प्रत्यर्थीगण

20 अगस्त, 2019

माननीय एन. एस. धनिक, जे.

श्री अभिषेक वर्मा, अधिवक्ता, प्रार्थी अभियुक्त की ओर से।

श्री एस.के. चौधरी, ए.जी.ए., राज्य की ओर से।

इस आपराधिक विविध आवेदन, धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर द्वारा 2019 के विविध आपराधिक मामला संख्या 601, राज्य बनाम राशिद के तहत पारित आदेश दिनांक 23-7-2019 को रद्द करने के लिए प्राथमिकता दी जाती है, जिसमें, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के द्वारा आवेदक की ओर से वाहन को छुड़ाने के लिए दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

आवेदक का मामला है कि वह वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली नं. यूके 04 एल 8943 की पंजीकृत मालिक है। दिनांक 8-5-2019 को उक्त वाहन में अवैध गौण खनिज लदे पाये जाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी। फलस्वरूप, उक्त वाहन को थाना काशीपुर पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत जब्त कर चालान कर दिया गया तथा दिनांक 8-5-2019 से उक्त वाहन उक्त थाने के खुले क्षेत्र में खड़ा है।

विद्वान मजिस्ट्रेट ने आवेदक की ओर से जारी निर्मुक्ति आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि उक्त न्यायालय में चालान/आरोप पत्र प्राप्त नहीं हुआ

था और इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 (2) में निहित प्रावधानों के अनुसार- ऐसे किसी भी वाहन को छोड़ने की शक्ति परिवहन प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी के पास है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 की उपधारा (2) की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जो निम्नानुसार है:

> "जहां एक मोटर वाहन को उप-धारा (1) के तहत जब्त और हिरासत में लिया गया है, वहां मोटर वाहन का मालिक या प्रभारी व्यक्ति परिवहन प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी भी अधिकारी को वाहन निर्मुक्त करने के लिए संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकता है और ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी ऐसे दस्तावेजों के सत्यापन के पश्चात ऐसी शर्तों के अधीन वाहन को निर्मुक्त करने का आदेश दे सकता है जो प्राधिकरण या अधिकारी अधिरोपित करना उचित समझे।"

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उपरोक्त प्रावधान में "परिवहन प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी पर लागू हो सकता है" शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सक्षम न्यायालय के अलावा, वाहन का मालिक या मोटर वाहन का प्रभारी व्यक्ति परिवहन प्राधिकरण या इस निमित्त अधिकृत किसी अधिकारी को वाहन निर्मुक्ति के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है और यह "हो सकता है" वाक्यांश से बिल्कुल स्पष्ट है कि यह प्रावधान इस मामले में चालान/आरोपपत्र दाखिल करने से पहले आवेदन जारी करने पर आदेश पारित करने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार को अपवर्जित नहीं करता है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने रिट याचिका संख्या 2512/2011 (एम/एस), *बार एसोसिएशन देहरादून बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य,* में 19.11.2013 को दिए

गए इस न्यायालय के फैसले पर अवलम्ब किया, जिसमें इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

> "मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 और 192-ए के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यदि धारा 39 के प्रावधानों या धारा 66 की उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करने या परमिट की किसी शर्त का उल्लंघन करने के लिए धारा 207 के तहत किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा वाहन को जब्त किया जाता है, तो वाहन का मालिक भी परिवहन क्षेत्राधिकार के समक्ष या धारा 207 की उप-धारा (2) के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष विद्वत मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपपत्र दाखिल करने से पहले वाहन को निर्मुक्त करने के लिए आवेदन कर सकता है, यद्यपि यदि धारा 192 और धारा 192-ए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए चार्जशीट मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर की जाती है, तो मजिस्ट्रेट को मात्र दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार वाहन को निर्मुक्त करने का अधिकार होगा।"

श्री एस. के. चौधरी, राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए., उपरोक्त प्रावधान के साथ विवाद नहीं करते हैं और सहमत होंगे कि संबंधित मजिस्ट्रेट के पास चालान/आरोप पत्र प्रस्तुतीकरण करने से पहले ही वाहन को निर्मुक्त करने का आदेश देने की शक्ति है।

यह न्यायालय आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क से भी सहमत है। मोटर वाहनों की धारा 207 की उप धारा (2) से परिवहन प्राधिकरण या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधिकारी को विशेष शक्ति नहीं मिलती है और संबंधित मजिस्ट्रेट इस मामले में चार्जशीट दायर करने से पहले भी इस तरह के किसी भी निर्मुक्ति आवेदन से निपटने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र में है।

ऊपर जो कुछ भी निर्धारित किया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए इस सी-482 आवेदन की अनुमति दी गई है। दिनांकित आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है और नीचे के न्यायालय को विधिक प्रस्ताव (उपरोक्त) और इसमें ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में आवेदक की ओर से जारी निर्मुक्ति आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

(एन.एस. धानिक, जे)

प्रबोध